न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद ।

वाद सं०-११०४/१३

आरोप

मैं मेराज अहमद,न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज जनपद फर्रूखाबाद ।आप सुनील उर्फ सन्टू पर निम्न आरोप लगाता हूं।

प्रथमः-यह कि उपरोक्त दिनांक २३/०३/१३ समय २ बजे वहद स्थान ग्राम मददूपुर थाना कायमगंज जनपद फर्रूखावाद मे आपने वादी मुकदमा चेतराम के लडके राकेश को लाठी डंडो से मारा पीटा जिससे उसकी हडडी टूट गयी। इस प्रकार आपने भा०द० स० की धारा ३२५ के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया ।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे हैं।

द्वितीयः-उपरोक्त दिनांक समय स्थान पर आपने वादी चेतराम के लडके राकेश लात घूसो से मारा पीटा जिससे उसके शरीर पर साधारण चोटे आयी।इस प्रकार आप लोगो ने भा०द०स० की धारा ३२३ के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

तृतीयः-यह कि उपरोक्त दिनाक समय व स्थान पर आपने वादी चेतराम के लडके राकेश को गंदी गंदी गालिया देकर अपमानित किया। इस प्रकार से आप लोगो ने धारा ५०४ भा०द०स० के अनर्तगत दण्डनीय अपराध कारित किया ।जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में हैं।

मैं एतदद्वारा अपको निर्देश देता हूं। कि उक्त आरोपो मे आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

(मेराज अहमद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कायमगंज

दिनांक २०/०९/१६

उक्त आरोप अभियुक्त को पडकर सुनाया व समझाया गया।जिसे अभियुक्त ने इनकार किया तथा विचारण की मागं की ।

(मेराज अहमद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कायमगंज

दिनंक-२०/०९/१६